न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मोनिका जाखड़ R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/320
प्रकरण संख्या 171/22

अनवान

1. श्रीमती सोहनीबाई पत्नि भंवरलाल जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी भीण्डर, जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

—: : निर्णय : :— **दिनांक :—24.01.2023**

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत् 2050—53 की खाता संख्या 310 खसरा संख्या 312 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि में सोहनबाई पत्नि भंवरलाल जणवा 1/2, सोहनीबाई पत्नि भंवरलाल जणवा 1/4, सरजूबाई पिता परथा 1/4 दर्ज है। नवीन जमाबंदी संवत् 2078—81 खाता संख्या नया 1656 आराजी नंबर 930 पर सरजूबाई पुत्र परथा 1/3, सोहनबाई पत्नि भंवरलाल 1/2, सोहनीबाई पत्नि भंवरलाल 1/6 दर्ज है। प्रार्थी द्वारा सोहनबाई पत्नि भंवरलाल जणवा व सोहनीबाई पत्नि भंवरलाल जणवा दोनो नाम एक ही होने से अपना नाम दुरस्त कर सोहनीबाई पत्नि भंवरलाल जणवा करने व अपना हिस्सा गलत दर्ज होने से अपने नाम 3/4 हिस्सा दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर को रिपोर्ट हेतु लिखा गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके तथ्य इस प्रकार है कि :—

I. यह कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी 2078—81 के खाता संख्या 1656 आराजी नंबर 930 रकबा 2.5000 हैक्टेयर दर्ज होकर खातेदार सरजूबाई पुत्र परथा हिस्सा 1/3 जाति जणवा सा.देह होकर सोहनबाई पत्नि भंवरलाल हिस्सा 1/2 जाति जणवा सा.देह एवं सोहनी बाई पत्नि भंवरलाल हिस्सा 1/6 जाति जणवा सा.देह दर्ज रिकार्ड है। यह कि प्रार्थी सोहनीबाई पत्नि भंवरलाल जणवा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सवत् 2050—53 राजस्व ग्राम खेरोदा की जमाबंदी के खाता संख्या 310 आराजी नंबर 312 रकबा 11—11 बीघा में सोहनबाई पत्नि भंवरलाल हिस्सा 1/2 जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:40:08 IST
Reason: SelfAttested

जणवा, सोहनीबाई पत्नि भंवरलाल हिस्सा 1/4 जाति जणवा एवं सरजुबाई पिता परथा हिस्सा 1/4 दर्ज था।

II. यह है कि प्रार्थी की नवीन रिकार्ड के खाता संख्या 1656 में नाम एवं हिस्सा शुद्धि के लिए मौके जांच में पाया गया की पूर्व रिकार्ड में सोहनबाई पत्नि भंवरलाल हिस्सा 1/2 जाति जणवा एवं सोहनीबाई पत्नि भंवरलाल हिस्सा 1/4 जाति के नाम दर्ज थी एवं सरजुबाई पिता परथा 1/4 जणवा सा.देह के नाम दर्ज थी। पटवारी रिपोर्ट प्रार्थी एवं प्रार्थी के पुत्र श्यामलाल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर खाता संख्या 1656 के आराजी नंबर 930 क्षेत्रफल 2.5000 हैक्टेयर में वर्तमान प्रविष्टि सोहनबाई पत्नि भंवरलाल जणवा हिस्सा 1/2 सोहनीबाई पत्नि भंवरलाल जणवा हिस्सा 1/6 जो एक ही खातेदार महिला है जिसके सोहनीबाई पत्नि भंवरलाल जणवा 3/4 हिस्सा दर्ज कराने हेतु अनुशंषा की है एवं सरजुबाई पिता परथा हिस्सा 1/3 के बजाय सरजु पुत्री परथा हिस्सा 1/4 सा.देह दर्ज किए जाने हेतु शुद्धि की अनुशंषा की है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के कथनानुसार जमाबंदी संवत् 2050–53 की खाता संख्या 310 खसरा संख्या 312 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि में सोहनबाई पत्नि भंवरलाल जणवा 1/2, सोहनीबाई पत्नि भंवरलाल जणवा 1/4, सरजूबाई पिता परथा 1/4 दर्ज है। नवीन जमाबंदी संवत् 2078–81 खाता संख्या नया 1656 आराजी नंबर 930 पर सरजूबाई पुत्र परथा 1/3, सोहनबाई पत्नि भंवरलाल 1/2, सोहनीबाई पत्नि भंवरलाल 1/6 दर्ज है। प्रार्थी द्वारा सोहनबाई पत्नि भंवरलाल जणवा व सोहनीबाई पत्नि भंवरलाल जणवा दोनो नाम एक ही होने से अपना नाम दुरस्त कर सोहनीबाई पत्नि भंवरलाल जणवा करने व अपना हिस्सा गलत दर्ज होने से अपने नाम 3/4 हिस्सा दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया कि ग्राम खेरोदा की जमाबंदी संवत् 2050–53 की खाता संख्या 310 आराजी नंबर 312 में सोहनबाई पत्नि भंवरलाल हिस्सा 1/2 जाति जणवा, सोहनीबाई पत्नि भंवरलाल हिस्सा 1/4 जाति जणवा एवं सरजूबाई पिता परथा हिस्सा 1/4 दर्ज था जबकि जमाबंदी संवत् 2078–81 में सोहनीबाई पत्नि भंवरलाल जणवा का हिस्सा 1/4 के बजाया 1/6 व सरजूबाई पुत्र परथा का हिस्सा 1/4 के बजाया 1/3 दर्ज हो गया। मौके पर उपस्थित मौतबिरान व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर सोहनबाई पत्नि भंवरलाल जणवा व सोहनीबाई पत्नि भंवरलाल जणवा दोनो एक ही महिला होना बताया उक्त महिला को दोनो नाम से जाना पहचाना बताया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:40:08 IST
Reason: SelfAttested

की प्रति, शपथ पत्र व कार्यालय ग्राम पंचायत खेरोदा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमे प्रमाणित किया गया की सोहनबाई पत्नि भंवरलाल जणवा व सोहनीबाई पत्नि भंवरलाल जणवा दोनो एक ही महिला होना बताया व पहचानना बताया।

4. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर, पटवारी हल्का की रिपोर्ट, कार्यालय ग्राम पंचायत खेरोदा का प्रमाण पत्र एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह पाया गया कि नवीन जमाबंदी संवत् 2078—81 में प्रार्थी का हिस्सा सहवन से गलत दर्ज हो गया जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट, कार्यालय ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर सोहनबाई पत्नि भंवरलाल जणवा व सोहनीबाई पत्नि भंवरलाल जणवा दोनो एक ही महिला होनो पाया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत् 2078—81 की खाता संख्या 1656 की आराजी नम्बर 930 में सोहनीबाई पत्नि भंवरलाल जाति जणवा सा. देह खातेदार के नाम 3/4 हिस्सा व सरजूबाई पुत्र परथा जाति जणवा सा. देह खातेदार के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 24.01.2023 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:40:08 IST
Reason: SelfAttested